NORTH CENTRAL RAILWAY EMPLOYEES SANGH

Registered, Recognised & Affiliated to N.F.I.R. & I.N.T.U.C.
Central Office : 464/B, Nawab Yusuf Road, Allahabad (U.P.)

No : 306/NCRES/19 Date : 09.12.2019

श्रीमान महाप्रबन्धक
नार्थ सेन्ट्रल रेलवे, इलाहाबाद

विषयः— उच्चतम न्यायालय के आदेशानुसार LARSGESS के अन्तर्गत दिनांक 27.10.2017 के पहले मेडिकल जांच में फिट अभ्यार्थियों को नियुक्ति प्रदान करना।

संदर्भ :— (1) NCRES का पत्र दिनांक 26.08.2019
(2) NCRES का पत्र दिनांक 28.10.2019
(3) NCRES का पत्र दिनांक 06.12.2019

महोदय,

LARSGESS के सम्बन्ध में माननीय उच्चतम न्यायालय के आदेश दिनांक 26.03.2019, 22.04.2019 और NCRES से वार्ता के उपरान्त प्रधान कार्यालय ने दिनांक 23.08.2019 को आदेश जारी कर आगरा एवं झांसी मण्डल को निर्देश दिया कि LARSGESS के अन्तर्गत जो अभ्यर्थी दिनांक 27.10.2017 के पहले मेडिकल जांच में फिट घोषित किये गये है, उन्हे नियुक्ति प्रदान किया जाय।

NCRES ने अपने उपरोक्त सन्दर्भित पत्र द्वारा भी मुख्य कार्मिक अधिकारी से दिनांक 27.10.2017 से पहले मेडिकल जांच में फिट घोषित अभ्यर्थियों को नियुक्ति प्रदान करने के लिये अनुरोध किया लेकिन खेद के साथ अवगत कराना पड़ रहा है कि आगरा और झांसी मण्डल ने प्रधान कार्यालय के आदेश का पालन नही किया और Sr. DPO आगरा ने NCRES के मण्डल अध्यक्ष/मण्डल सचिव से स्पष्ट कह दिया है कि नियुक्ति नही दी जायेगी।

NCRES का अनुरोध है कि N.F. RLY, S.C. RLY, E.Co RLY. इत्यादि अन्य रेलवे ने जिस प्रकार 27.10.2017 से पहले मेडिकल जांच में फिट अभ्यर्थियों को नियुक्ति प्रदान किया है उसी प्रकार नार्थ सेन्ट्रल रेलवे में भी जल्द नियुक्ति प्रदान करने के लिये निर्देश जारी करने की कृपा करें अन्यथा कर्मचारी जनवरी—2020 एवं फरवरी—2020 में सेवानिवृत हो जायेगें।

(आर. पी. सिंह)
महामंत्री